



ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 275 / 12-1(2) दिनांक 31 / 07 / 2021::

सेवा में

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

विषय:- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत डुंगरा (बच्छणस्यू) से आरस्यू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.690 है० है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक-127/1जी०-5055 दिनांक 12.07.2021 तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-231/12-1 दिनांक 24.07.2021।

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा निर्देशित किया है कि प्रस्ताव के पार्ट-I, II, III परिपूर्ण भरे जाने के पश्चात् मूल प्रति सहित 3 हार्ड प्रतियों में उन्हें उपलब्ध कराये जाय। (संलग्न सन्दर्भित पत्र)

अतः आप उक्त संबंधित प्रकरण के ऑनलाईन कमियों का निराकरण कर परिपूर्ण प्रस्ताव 04 हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को प्रेषित किये जा सकें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- १३१ / १२१ , दिनांक, पौड़ी, जुलाई, २४ २०२१.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी (नाम से)
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत डुंगरा (बच्छणस्यूँ) से आरस्यूँ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.६९ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० २००/FP/UK/ROAD/121750/2021 दिनांक २० जुलाई २०२१

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से उपरोक्त ऑनलाईन अपलोड किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के उनके कार्यालय पत्रांक १२७/१जी०-५०५५ दिनांक १२.०७.२०२१ (संलग्नक) से समस्त वन संरक्षकों को जारी दिशानिर्देश जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है के अनुपालन में प्रस्ताव पार्ट-I, II, III परिपूर्ण भरे जाने के पश्चात मूल प्रति सहित ३ हार्ड प्रतियों में उन्हें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः आप सम्बन्धित प्रकरण के ऑनलाईन कमियों का निराकरण कर परिपूर्ण प्रस्ताव ४ हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:-

दिनांकित

- प्रतिलिपि
१. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
 २. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक:- 127 / 1जी-5055

दिनांक: देहरादून

12 जुलाई, 2021

सेवा में,

1. श्री अमित वर्मा,
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री अखिलेश कुमार,
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री डी0के0 सिंह,
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री धीरज पाण्डे,
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
5. श्री एन0एन0 पाण्डे,
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. श्री अमित कुँवर,
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर
रिजर्व, उत्तराखण्ड,
गोपेश्वर।
7. श्री प्रवीण कुमार,
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
8. श्री कुबेर सिंह बिष्ट,
वन संरक्षक,
दक्षिणी वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. श्री जीवन चन्द्र जोशी,
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
10. श्री राहुल कुमार,
निदेशक/वन संरक्षक,
कार्बेट नेशनल पार्क,
उत्तराखण्ड, रामनगर।

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में परीक्षणोंपरान्त पायी गयी कमियों के निराकरण सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक कृपया अवगत हो, कि अधोहस्ताक्षरी विगत 1 माह के अपने नोडल अधिकारी कार्यकाल अन्तर्गत यह दृष्टिगत कर रहे हैं, कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के Online तथा Offline प्रेषण के सम्बन्ध में प्रभाग/वृत्त स्तर द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य जैसे प्रस्तावों को Online Upload करने के पश्चात तत्काल प्रस्तावों को मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में Nodal office को न भेजा जाना, hard copy में प्राप्त प्रस्तावों में Part I, Part II, Part III तथा Part IV का ही न पाया जाना, User Agency के द्वारा Part I में Online प्रस्ताव Upload करने के पश्चात लम्बे समय तक Part II का भरा ही न जाना, प्रस्तावों के विभिन्न प्रारूपों में सम्बन्धित अधिकारियों का नाम/दिनांक का न होना, EDS का उत्तर सीधे User Agency द्वारा नोडल अधिकारी को भेज दिया जाना, आदि-आदि प्रमुख हैं, जिस कारण प्रस्तावों की Processing में अपरिहार्य विलम्ब हो सकता है।

1. उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सम्बन्धित वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा पार्ट III में प्रस्ताव को संस्तुति करते समय ही, निर्धारित प्रतियों में प्रस्ताव की हार्ड कापी उनके कार्यालय के डिस्पैच द्वारा विशेष पत्र वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करी जायें। ऐसा करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऑनलाईन प्रस्ताव भी परिवेश पोर्टल में भली भाँति Upload किया जा चुका हो तथा हार्ड कापी के Part-I, Part-II एवं सभी भरे प्रारूपों का भी स्वयं की संतुष्टि तक परीक्षण कर लिया जाये।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि, इस कार्यालय अथवा भारत सरकार कार्यालय स्तर से प्रस्तावों के निरीक्षण उपरान्त जारी किये गये EDS (Essential details sought) का उत्तर भी, आपकी संस्तुति उपरान्त ही इस कार्यालय को हार्ड कापी में प्राप्त हो। कृपया ध्यान दें कि अधिकांश EDS के उत्तर का सम्बन्धित वनाधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाना अत्यधिक अनिवार्य है तथा किसी भी स्थिति में User agency से प्राप्त EDS के उत्तर को, इस कार्यालय द्वारा सीधे संज्ञान में लिया जाना उचित नहीं है। User agency से सीधे प्राप्त उत्तर को पुनः DFO/CF स्तर से परीक्षण किये जाने हेतु भेजने में प्रस्तावों की Processing में अनावश्यक विलम्ब होगा।

3. भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के विभिन्न प्रारूपों में जहां-जहां भी वनाधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं उनके नीचे उनका नाम, पदनाम एवं दिनांक स्पष्टतः भरा होना चाहिये। यही प्रक्रिया User agency अथवा अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्तावों में हस्ताक्षर करते समय कराई जानी चाहिये।
कृपया उक्त प्रक्रिया का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन कराया जाये ताकि वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या— / 1जी-5055 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून, महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :-मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड देहरादून, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि :-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, कुमाऊँ एवं गढ़वाल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-200 /FP/UK/ROAD/121750/2021 देहरादून: दिनांक: 20 जुलाई, 2021

सेवा में,

श्री एन0एन0 पाण्डे,
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-जनपद-रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत डूंगरा (बच्छणस्यू) से आरस्यू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ऑनलाईन दिनांक 28-06-2021 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां आतिथि तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है। इस परिपेक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 127/1जी-5055 दिनांक 12-07-2021 के द्वारा समस्त वन संरक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। स्मरण रहे कि प्रस्ताव में पार्ट-I, पार्ट-II एवं पार्ट-III परिपूर्ण भरे जाने के पश्चात तीन हार्ड प्रतियों में (मूल प्रति सहित) इस कार्यालय को प्रेषित किये जाये। प्रस्ताव का गहन ऑनलाईन परीक्षण करने पर अपूर्णता दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिन्हें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। परिपूर्ण सूचना/प्रस्ताव के अभाव में प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है।

अतः ऑनलाईन कमियों का निराकरण कर परिपूर्ण प्रस्ताव तीन हार्ड प्रतियों में (मूल प्रति सहित) इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


संख्या :- /FP/UK/ROAD/121750/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1- Kindly review the Employment detail- permanent one



2- Date is missing in FRA –



3- Type of forest and density not mentioned in the uploaded NPV certificate –also the certificate not uploaded in part II as additional information(document uploaded by the name of NPV is SIR of DFO)

